न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 34 / 2017 / 251–ए आरटीए

1. राजूसिंह पुत्र जसवन्त सिंह उम्र 74 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थी

ब ना म

1. बच्चन सिंह पुत्र नाथू सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरियेः– शाखा प्रबंधक।
3. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थीगण

आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. श्री शिवपाल सिंह वकील प्रार्थी की ओर सें।
2. श्री भवानी सिंह शेखावत वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर सें तथा शेष अप्रार्थीगणो के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

नि र्ण य **दिनांक – 06.01.2019**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार सें है कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 54, 55 वाके ग्राम मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें आवागमन व खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 59 रकबा 0.77 हैक्टर की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे 12 फीट चौड़ा व 80 मीटर लम्बा रास्ता चाहता है। उक्त आवेदित रास्ते के अलावा आवेदक के पास कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर नहीं है। आवेदक को अपने खेत में पहुंचने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि में सें बताये गये उक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है। उक्त रास्ता सुगम व निकटतम है व धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। उक्त रास्ते के बिना आवेदक अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग– उपभोग सें पूर्णतया वंचित रह जायेगा। अतः

Scanned by CamScanner

प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 54 तन ग्राम मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के उपयोग–उपभोग हेतु वांछनीय एकमात्र रास्ता सुगम व नजदीक है जो खसरा नम्बर 59 रकबा 0.77 हैक्टर की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे 12 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाया जावे। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर कृषि भूमि खसरा नम्बर 59 रकबा 0.77 हैक्टर मे सें दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे 12 फुट चौड़ा व 80 मीटर लम्बा रास्ता कायम किया जाना उचित है। उक्त आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता खसरा नम्बर 54, 55 सें लेकर खसरा नम्बर 61 ग्रेवल सड़क तक खसरा नम्बर 59 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे 12 फुट चौड़ा रास्ता में आने वाली भूमि की प्रतिकर राशि तय करके अप्राथ्री संख्या 1 बच्चनसिंह को दिलायी जाकर रास्ता में आने वाली भूमि को निर्वापित करके रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता के रूप में दर्ज कर अलग खसरा नम्बर डालकर राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 की ओर सें वकील श्री भवानीसिंह शेखावत हाजिर आये तथा शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर सें जवाब पेश किया गया। जवाब आवेदन में अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी की कब्जेकाश्त व खातेदारीशुदा भूमि खसरा नम्बर 57, 58, 59 ग्राम मोटलावास की तन में अवस्थित है अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 59 रकबा 0.77 हैक्टर में सें आवेदक द्वारा कतई गलत रूप सें रास्ता चाहा गया है। आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 54, 55 के पश्चिम साईड में आवेदक व उसके भाईयों की भूमि खसरा नम्बर 53 की सीमा पर रास्ता मौके पर चालू है। उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर आवेदक के पास रास्ता होते हुए भी आवेदन पेश किया गया है जो विधि अनुसार चलने

Scanned by CamScanner

योग्य नहीं है। धारा 251–ए आरटीए के प्रावधानों के विपरीत आवेदक ने यह आवेदन अपनी भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता होते हुए भी जबरन रास्ता कायम करवाने हेतु पेश किया गया है जो खारिज होने योग्य है। आवेदक ने अपने आवेदन में वांछित रास्ते को सुगम व निकटतम रास्ता होना अभिकथन किया है जबकि धारा 251–ए आर.टी.एक्ट में वैकल्पिक रास्ते के अभाव में रास्ता उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। आवेदक की कृषि भूमियों में जाने का रास्ता भूमि खसरा नम्बर 53 जो कि आवेदक व उसके भाईयों की कब्जेकाश्त व खातेदारीशुदा भूमियां पैत्रिक है उसकी उत्तरी सीमा तक रास्ता टच हो रहा है इसके बावजूद भी आवेदक ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर मिथ्या अभिकथन कर कतई गलत रूप से आवेदन पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में तहसीलदार दांतारामगढ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त मौका रिपोर्ट पर वकील अप्रार्थी द्वारा आपत्ति पेश की गई। आपत्ति पेश होने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मौका देखा जाकर आपत्ति स्वीकार की गई। आवेदन 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. उभयपक्ष के बहस विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने आवेदन वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 54 में आने जाने हेतु रास्ता तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 59 में सें प्रदान किया जावे। वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस जवाब आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया कि खसरा नम्बर 54, 55 की पश्चिमी दिशा में सटाकर भूमि खसरा नम्बर 53 रकबा 1.47 हैक्टर अवस्थित है जो आवेदक व उसके भाईयों की खातेदारीशुदा भूमि है। खसरा नम्बर 53, 54 व 55 एक ही चक में है जिसके बीच में कोई सीमा नहीं है और उक्त भूमियों पर राजूसिंह का ही कब्जाकाश्त है।

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 59 के दक्षिणी पूर्वी कोने तक ग्रेवल सड़क खसरा नम्बर 61 है जिससें अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 59, 58, 59 की पूर्वी सीमा व उत्तरी सीमा पर 12 फुट चौड़ा रास्ता मौके पर चालू है जो आगे 38, 56 की सीमा पर होता हुआ प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 53 की उत्तरी सीमा को टच करता हुआ आगे जाता है तथा उक्त रास्ता प्रचलित रास्ता है। अतः प्रार्थी ने निकटतम व सुगम रास्ता चाहने हेतु अप्रार्थी की भूमियों में रास्ता कायम करवाने के लिए आधारहीन आवेदन पेश किया है जिसें खारिज किया जावे।

उक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि **प्रार्थी का आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के प्रावधानों के अनुसार साबित नहीं होता है क्योंकि आरटीए की धारा 251–ए की मंशा वैकल्पिक रास्ते के अभाव में प्रार्थी को निकटतम दूरी का रास्ता उपलब्ध करवाया जाना है। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 54 के उपयोग–उपभोग हेतु खसरा नम्बर 59 सें होकर वांछित रास्ता उपलब्ध करवाया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.01.2020 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामढ

Scanned by CamScanner